



हमीरपुर पुलिस



कोतवाली सदर)रोडवेज बस में चोरी करने वाले गिरोह का एक सदस्य सोने-चांदी के जेवरात(कीमत लगभग 2,50,000) व रुपए सहित गिरफ्तार

अवगत कराना हैं कि उषा गुप्ता पत्नी संतोष गुप्ता निवासी पिपरेन्दा थाना चिल्ला जिला बांदा दिनांक 15/6/2021 को झकरकटी बस स्टैंड कानपुर से रोडवेज बस में बैठी थी इनको अपने घर जाना था इनका बैग कुछ दूर पर बस में ही रखा था। हमीरपुर में उन्होंने देखा कि मेरा बैग गिरा हुआ है इन्होंने चेक किया तो उनका रुपया और सोने का एक हार 30 ग्राम, झुमका 10 ग्राम, 2 अंगूठी 8 ग्राम, व दो चांदी का रिंग 10 ग्राम उसमें नहीं थी। इनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 104/ धारा 379 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया था पूर्व में भी कानपुर से चलने वाली रोडवेज की बस में इस प्रकार की घटना हो चुकी थी जिसमे पूरा माल बरामद कर 3 महिलाओं को जेल भेजा जा चुका था पुनः इस प्रकार की घटना होने पर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं माल की बरामदगी हेतु कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। इस क्रम में घटना को कारित करने वाले गिरोह के संबंध में जानकारी एकत्रित की गई थी तथा संकलित सूचना के आधार पर आज एक अभियुक्त नन्हे पुत्र अली असगर निवासी सहापुर भोजपुर जनपद मुरादाबाद को मेरापुर से आगे सिंहमाहेश्वरी रोड पर कस्बा हमीरपुर में गिरफ्तार करके मुकदमा उपरोक्त में चोरी किया गया सोने चांदी के सभी सामान व 4130 रुपए बरामद कर लिये गये हैं। अभियुक्त से सख्ती से पूछताछ पर उसके द्वारा बताया गया कि हम लोग सवारियों के बीच मिलजुल कर झकरकटी बस स्टैंड कानपुर से बैठ जाते हैं तथा काम होने पर पहले ही उतर जाते थे कभी कभी मौका ना मिलने पर हमीरपुर तक आ जाते थे। कई बार प्रयास करने पर बैग में कुछ भी नहीं मिलता था तो खाली हाथ चले जाते थे। इस घटना के संबंध में बताया कि उस दिन बस में हम लोगों ने महिला को बैग में जेवर रखते हुए देख लिया था चोरी करने के बाद लोगों को हम लोगों के ऊपर शक हो गया था हम लोग पैदल पैदल बस से उतर कर भाग गए थे यह महसूस हुआ था कि पकड़े जाएंगे इसलिए सभी सोने चांदी के सामान को नहर के किनारे सुरक्षित स्थान पर गाड़ दिए थे आज मैं वहां से निकाल कर ले जा रहे थे कि पकड़े गये हैं पूछताछ पर यह भी बताया कि हम लोग देखते हैं कि किस बैग में ताला लगा हुआ है उसी को निशाना बनाते हैं हम लोग समझ जाते हैं कि इसमें सामान होगा या कभी-कभी हम लोग काफी देर तक बस स्टैंड पर खड़े रहते हैं तो देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति बैग में कीमती सामान रख रहा है तब उसको निशाना बनाते हैं ।

बरामद माल का विवरण

- 1-एक सोने का हार वजन लगभग 30 ग्राम
- 2- 1 जोड़ी सोने की झुमकी वजन लगभग 10 ग्राम
- 3- दो अंगूठी सोने की वजन लगभग 8 ग्राम
- 4- दो चांदी के रिंग वजन लगभग 10 ग्राम
- 5-चोरी गया 4130 रुपया

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

- 1- उप निरीक्षक राजेश कुमार
- 2-हेड कांस्टेबल मिथुन मलिक
- 3-कांस्टेबल कुलदीप

